बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि 29 जुलाई 1982 ई०

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—गत सत्र के अनागत अल्पसूचित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तरों का सभा-पटल पर रखा जाना।	1
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या 96, 98, 99 एवं 102 ..	2—9
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919 एवं 2920	9—30
परिशिष्ट 1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	31—62
परिशिष्ट-2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	63—235
शुद्धि निबन्ध	236

---

*टेप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

प्रभारी मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग—(1) वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 23 मार्च, 1982 को रात्रि में 19 खलिहानों को जला दिये जाने और खलिहान लूट लिये जाने का एक मुकदमा सरमेरा थाना पर दिनांक 24 मार्च, 1982 को आदी रामदास महतो, ग्राम बटोरा द्वारा किया गया, जिसके संबंध में सरमेरा थाना अभियोग संख्या 23/82, दिनांक 24 मार्च, 1982, धारा 147/379/436 भा० द० वि० अभियुक्त रामचन्द्र साह, शंकर साह, इन्दर साह, वैद्यनाथ साह सभी ग्राम शेखपुरा, थाना शेखपुरा (मुंगेर) के विरुद्ध कायम किया गया है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है, किन्तु यह कहना कि लोकल पुलिस रामचन्द्र साह के मेल में आकर अभियुक्तों के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, बिल्कुल गलत है। आरक्षी अधीक्षक, नालन्दा ने आरक्षी निरीक्षक, अस्थावां को जांच करने का आदेश दिया। जांच के दौरान सभी अभियुक्त फरार हैं और उनके विरुद्ध कुर्की-जप्ती प्राप्त कर उसका तामील सख्ती से कराने का आदेश स्थानीय पुलिस को दिया गया। अब तक के अनुसंधान से इस कांड में लूट का आरोप असत्य है। आग लगी घटना की भी जांच गहराई से की जा रही है। (3) उपर्युक्त खंडों के उत्तर के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों के फरार रहने की स्थिति में कुर्की-जप्ती का आदेश दिलवाकर उसका तामील सख्ती से कराने का आदेश दिया गया है।

घटना की जांच।

अ० सू०-13. श्री जगदीश चौधरी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परवत्ता थाना के यदुवंश नगर के श्री राम पासवान की पुत्री आशा कुमारी, उम्र 8, वर्ष को दिनांक 26 फरवरी, 1982 को 6 बजे शाम में श्री सदो कुमार, पुत्र श्री गणेश कुमार, ग्राम जयुरापुर, जिला खगड़िया, थाना परवत्ता ने बलात्कार किया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सुश्री आशा कुमारी की इलाज खगड़िया अस्पताल में हो रही है, जहां उसकी हालत चिन्ताजनक है;

(3) क्या यह बात सही है कि आशा कुमारी के पिता ने उक्त घटना के संबंध में थाना प्रभारी परवत्ता के यहां 27 फरवरी, 1982 को केस किया है जिसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया गया है;

(4) क्या यह बात सही है कि अभी तक घटनास्थल पर आरक्षी अवर निरीक्षक से लेकर आरक्षी अधीक्षक तक कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त घटना की जांच डी० आई० जी०, सी० आई० डी० (निगरानी) से कराने एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर नकारात्मक है। अस्पताल में मेडिकल जांचोपरान्त वह अपने घर चली गई और अभी वह ठीक है।

(3) यह सही है कि सुश्री आशा कुमारी, सुपुत्री राम पासवान के बयान पर इस घटना के संबंध में परवत्ता थाना कांड संख्या 13, दिनांक 27 फरवरी 1982, भा० द० वि० की धारा 376 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। इस कांड के अभियुक्त सदो कुंवर ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है।

(4) उत्तर नकारात्मक है। कथित घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने अनुसंधान आरम्भ किया। आरक्षी अधीक्षक, खगड़िया ने भी इस घटना का पर्यवेक्षण 27 मार्च 1982 को किया।

(5) ऊपर के खंडों में दिये गये उत्तर में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। मामला अनुसंधान के अन्तर्गत है।

थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई।

प्र० सू० 3. श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव—दिनांक 3 फरवरी 1982 तथा 4 फरवरी, 1982 को अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित शीर्षक "लौ एण्ड आर्डर इन रोसड़ा डिटोरियेट्स" एवं "क्राईम ब्लोर इन सहनपुर" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह आरक्षी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत हसनपुर थाना के पतिया गांव में एक ही रात में आठ घरों में भीषण डकैतियां हुई जिसमें बम फोरकर डकैतों ने हजारों रुपया की लूट की;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त डकैतियों की प्राथमिक सूचना प्रभावित गृह स्वामियों से थाना प्रभारी हसनपुर ने ग्रहण नहीं की और न उक्त डकैतियों पर कार्रवाई की;

(3) क्या यह बात सही है कि मार्च, 1981 के प्रथम सप्ताह में ही अकोनया मालदह, बलिया मालखरहा एवं हरिपुर गांव में भी भीषण डकैतियां हुई हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डकैतियों को रोकने के लिए तथा थाना प्रभारी, हसनपुर के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई अविलम्ब करना चाहती है ?